पत्रावली का लोक अदालत में निस्तारण नही हो सका/पत्रावली वास्ते
जवाब दि० 22/8/17 को पेश हो।

अध्यक्ष एव उप खण्ड अधिकारी
लोक अदालत (रामगढ) अलवर

22.8.17

मंत्रायलिक महासंघ के आहवान पर कार्मिकों का सामूहिक अवकाश होने के कारण पत्रावली वास्ते.....दिनांक.....को पेश हो।
जवाब 17.10.17

रीडर

17/10/17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य स्थगित है। ..... पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते जवाब दिनांक 5/12/17 को पेश हो।

5/12/17

वादी के वकील ..... उपस्थित ..... पेश किया
स्थगित
नकल दिलाई गई। वास्ते जवाब ..... पत्रावली
दिनांक 16/1/18 को पेश हो।

16/1/18

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/विपक्षीगण अधिकारी
स्थगित ..... पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्ते जवाब ..... पत्रावली
दिनांक 10-4-18 को पेश हो।

15-6-18 आज पत्रावली "- पास आपदा हाट 2018" प्रेषण करने में गलत बंशीलाल गई। इस पत्रावली को अवकाश दिनांक अवलोकन किया गया। पत्रावली में रासायनिक रिपोर्ट के अभाव में खारिज योग्य है अतः पत्रावली खारिज किया जाता है। पत्रावली फुटकर शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सितारा खा/सरकार
1/7/2012